

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

213

विश्वराम / पप्पुलाल  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

2020

27/8/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अधिवक्ता केवियटकर्ता/रेस्पो. उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं केवियटकर्ता/रेस्पो को भी प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20/07/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थी जो इस न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 है की सुनवाई कर आगामी पेशी तक उभयपक्षों को विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धित फरमाया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुये सीधे ही उक्त आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। जिसमें अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। किन्तु प्रकरण की इस दौरान बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की विवादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नम्बर खसरा नम्बर 342 का रूपान्तरण कृषि भूमि से आवासीय में हो चुका है ऐसी परिस्थिति में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी कर आदेश जैर अपील के माध्यम से जो खसरा नम्बर 342 के सन्दर्भ में प्रतिबन्ध जारी किया गया है, वह न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 30 दिवस की अवधि में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक आदेश जैर अपील दिनांक 20/07/2020 की क्रियान्विति विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 342 स्थित ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर की हद तक स्थगित रखी जाती है। उभयपक्ष आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08/09/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27/08/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

